2023/83

FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

अज अदालत.....मुकाम.....

.....भूरसिंह वगैरह.....बनाम.....नवल.....

.....

किस्म मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225.....नं.....40.....सन्.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अदालत जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.23	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नंबर 254/2023 बउनवान नवल बनाम भूरसिंह वगैरह में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.04.2023 से मियाद बाहर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 18.04.2023 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 18.04.23 तक इस कदर जारी की गई कि वे भूमि खसरा नंबर 820 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर में आगामी तारीख पेशी तक कोई निर्माण नही करें एवं सायल के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करें, मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत् 2076–2079 वाके ग्राम मैडी पटवार हल्का मैडी तहसील वजीरपुर के अनुसार खसरा नंबर 820 रकबा 0.32 है0 के नवल पुत्र पून्या हिस्सा 1/6 हिस्सा व बालाराम पुत्र सोमवारया हिस्सा 5/6 हिस्सा के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यदि कोई व्यक्ति जो आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार अथवा संयुक्त खातेदार हो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 212 मे जारी नही की जा सकती है। मातहत अदालत को दुसरे	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पक्ष को भी सुनकर आदेश दिया जाना चाहिए था। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.04.2023 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 भी पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अंतरिम आदेश की जानकारी दिनांक 18.05.2023 को तहत अदालत के समक्ष मुकदमे में पेश होने पर हुई। जानकारी पर वकील साहब से कानूनी सलाह व मशवरा लिया गया । लेकिन कार्मिको की हडताल के कारण अपीलांट को आदेश की नकल नही मिली। हडताल खत्म होने पर दिनांक 19.06.2023 को नकल के लिए आवेदन कर नकल प्राप्त कर उसी दिन 19.06.2023 को अपील पेश की गई। देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत मे रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट बालाराम को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि खसरा नंबर 820 रकबा 0.32 है0 भूमि स्थित ग्राम मैडी मे बालाराम का 5/6 हिस्सा रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा भूमि पर वह काबिज है इसलिए अपीलांट बालाराम को सुना जाना न्यायहित मे आवश्यक है इस भूमि मे उसका हित निहित है, इस कारण अपील अपीलांट प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 के अवलोकन से जाहिर आया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट बालाराम को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि खसरा नंबर 820 रकबा 0.32 है0 भूमि स्थित ग्राम मैडी मे बालाराम का 5/6 हिस्सा रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। एक रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय पारित करना विधि विपरीत है, अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाण्टगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 18.04.23 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.04.23 का अवलोकन किया गया।

राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम धारा 212 के अनुसारः–

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध.–

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही मे यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्व हो जाये किः–

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुव्यर्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम मे उक्त सम्पति को हटाने अविा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने कई दृष्टांतो मे इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। रेस्पोडेन्ट नवल का इस भूमि मे केवल 1/6 हिस्सा है शेष हिस्सा 5/6 बालाराम कोली का है जिसे मातहत अदालत मे पक्षकार नही बनाया गया है तथा वर्तमान मे इसी खसरा नंबर 820 रकबा 0.32 है0 ग्राम मैडी बाबत् एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

संख्या 2020/1722 बउनवान बालाराम बनाम नवल आगामी पेशी 11.07.23 लंबित है। मातहत अदालत ने बिना रिकार्ड का विवेचन व अवलोकन किए ही विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।
2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।
3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।
4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

0.32 हक्टर में उसका 1/6 हिस्सा है तथा

Scanned with CamScanner

एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। रेस्पोडेन्ट नवल का इस भूमि मे केवल 1/6 हिस्सा है शेष हिस्सा 5/6 बालाराम कोली का है जिसे मातहत अदालत मे पक्षकार नही बनाया गया है तथा वर्तमान मे इसी खसरा नंबर 820 रकबा 0.32 है0 ग्राम बाबत् एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे लंबित है। मातहत अदालत ने बिना रिकार्ड का विवेचन व अवलोकन किए ही विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक रेकॉर्डेड खातेदार व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत के आदेशिका दिनांक 18.04.23 में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन अप्रार्थीगण/अपीलाण्टगण को बिना सुने ही एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थी के पक्ष में हैं?

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

चतुर्थ, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यंतावश्यकता' का है, जिसके कारण एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.04.2023 को विवादित आराजीयात खसरा नंबर खसरा नंबर 820 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर का निरस्त किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांटगण को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए तथा उक्त विवादित आराजीयात से संबंधित माननीय राजस्व मंडल राज0 अजमेर मे लंबित प्रकरण संख्या 2020/1722 को ध्यान मे रखते हुए, आगामी सुनवाई करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

आदेश आज दिनांक 27.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner